उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग, जनपद–सम्भल।
निविदा सूचना

अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली के पत्र संख्याः बीजैड–एचसी–(भवन)/2021 दिनांकः 24.11.2021 के द्वारा जनपद सम्भल में नवीनतम पुलिस लाईन (निकट ग्राम आनन्दपुर व फत्तेहपुर शरीफनगर) की अधिग्रहित भूमि के पश्चिम एवं दक्षिण की तरफ तारबन्दी का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में मानक मद 29–वार्षिक अनुरक्षण/मरम्मत के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों को कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं:–

क0सं0	पत्रावली संख्या	कार्य का विवरण	धनराशि
1	भ–28/2021	नवीनतम पुलिस लाईन के निर्माण हेतु क्रय भूमि के पश्चिम तथा दक्षिण की ओर तारबन्दी का कार्य।	रू0–3,82,000/–

1–मुहरबन्द निविदा लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो। निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांकः 05–01–2022 को समय 12.00 बजे के पूर्व तक पहुँच जानी चाहिये, जिसमें ठेकेदार का नाम/पता/मोबाईल नम्बर भी अंकित हो।

2–निविदा उन छपे हुए फार्म पर ही भरी जानी चाहिये जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में रू0–200/–प्रति फार्म की दर से मूल्य चुका कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

3–ठेकेदार निविदा देने से पूर्व ही कार्य का भली–भाँति निरीक्षण कर लें तथा कार्य की जानकारी प्राप्त कर लें अन्यथा इस सम्बन्ध में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

4–निविदा के कार्य के लिये पूरी व्यय धनरांशि स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिये तथा कार्य की निविदा का दो प्रतिशत अर्नेस्ट मनी संलग्न होनी चाहिये, अन्यथा टेण्डर स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5–सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेंगी।

6–विलम्ब से प्राप्त/रजिस्टर्ड डॉक से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

7–एक कार्य के लिये एक ही निविदा मान्य होगी।

8–निविदा अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा उसी दिन दिनांकः 05–01–2022 को समय 13.00 बजे खोली जायेंगी।

9–निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार को 03 दिवस के अन्दर अनुबन्ध पत्र भरना होगा और जमानत धनराशि 10 प्रतिशत जमा करानी होगी। जमानतीय धनराशि पुलिस अधीक्षक सम्भल के पदनाम से एफ0डी0 के रूप में बन्धक जमा की जायेगी। कार्य का अनुबन्ध 03 दिवस के अन्दर न करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त मानी जायेगी और निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

10–वह व्यक्ति/ठेकेदार जिनकी निविदा अस्थायी रूप से स्वीकृत की जायेगी, कार्य करने के आदेश में विलम्ब की दशा में अपनी निविदा संपरिवर्तन के लिये अनुज्ञान नहीं होगा।

11–ठेकेदार जिसकी निविदा अन्तिम रूप से अनुमोदित की जायेगी, के बिल(बीजक) से आवश्यक करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

12–बिना कारण बताये सक्षम अधिकारी को समस्त अथवा किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

13–ठेकेदार को निविदा में दिये गये समकक्ष कम से कम दो कार्यों का अनुभव होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा निविदा वही ठेकेदार प्राप्त कर सकते हैं जो पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद द्वारा पंजीकृत होंगे। निविदा प्राप्त करते समय ठेकेदार को पंजीकरण की फोटो प्रति कार्यालय में देना अनिवार्य होगी।

14–वह व्यक्ति/ठेकेदार जिनकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकृत की जायेगी, अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अनुबन्ध में अंकित तिथि तक कार्य को अवश्य पूर्ण करेगा। यदि कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं होता है तो प्रत्येक दिन की दर से विलम्ब शुल्क लगाया जायेगा।

15–अधोहस्ताक्षरी सबसे कम धनराशि वाली निविदा को अथवा किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिये अथवा अस्वीकृत करने का कारण बताने के लिये बाध्य नहीं होगा।

16–ठेकेदार के भू–माफिया/असामाजिक तत्वों से सम्बन्ध होने के विषय में तथ्य संज्ञान में आने पर नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

17–ठेकेदार को टेण्डर के साथ दो प्रतिशत अर्नेस्ट मनी संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि टेण्डर के साथ कोई ठेकेदार अर्नेस्ट मनी संलग्न नहीं करेगा तो उसका टेण्डर निरस्त माना जायेगा।

पत्र संख्या: भ–28/2021

दिनांक: दिसम्बर 27 ,2021

पुलिस अधीक्षक

सम्भल।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

2– अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली।

3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद।

4– जिलाधिकारी जनपद सम्भल।

5– जिला सूचना अधिकारी जनपद सम्भल।

6– अपर पुलिस अधीक्षक/समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद सम्भल।

7– वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक–मुरादाबाद/बरेली/बिजनौर/अमरोहा/रामपुर/शाहजहाँपुर/बदायूँ।

8– प्रभारी सीसीटीएनएस को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9– प्रतिसार निरीक्षक/समस्त थाना प्रभारी जनपद सम्भल।

10– ठेकेदार शाकिर निवासी–करबा व थाना बहजोई जनपद सम्भल।

11– ठेकेदार रईस कुरैशी निवासी–कस्बा व थाना बहजोई जनपद सम्भल।

12– ठेकेदार जयप्रकाश निवासी–पाठकपुर थाना बहजोई जनपद सम्भल।

13– प्रधानलिपिक/आंकिक पुलिस कार्यालय जनपद सम्भल।

14– दफ्तरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।